

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक -13/05/2024

कमांक/रीडर/2024/371/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स.37/2024 अनवान देबीलाल पुत्र जगरुप गुर्जर, श्रीमति नंदू पत्नि नरसिंह गुर्जर निवासी देवरा बनाम भैरु पिता देबी गुर्जर, भुवाना पिता गोपाल गुर्जर, बरमा पिता नारायण गुर्जर, भुवाना पिता सोजी गुर्जर, सुखदेव पिता प्रताप गुर्जर, रामदेव पिता हजारी गुर्जर, भुवाना पिता छीतर गुर्जर, भैरु पिता लालू खाती, भुवाना पिता किशन गुर्जर, हरनाथ पिता जीतमल गुर्जर, शंकर पिता हिन्दू गुर्जर, भुवाना पिता रायमल गुर्जर फाफडा निवासी देवरा, जगदीश पिता घीसू जाट, गोपाल पिता हरचन्द जाट निवासी मण्डाचर तहसील जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम देवरा प.ह.बागूदार की आराजी सं. 5860 रकबा 0.4371 है. भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

देबीलाल पुत्र जगरुप गुर्जर निवासी देवरा

बनाम

भैरु पिता देबी गुर्जर निवासी देवरा

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 27/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम देवरा प.ह.बागूदार मे आराजी सं. 5860 रकबा 0.4371 है। भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम देवरा प.ह. बागूदार की आराजी सं. 5860 रकबा 0.4371 है। भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा